न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 –70 / 2022

अनवान : –

1. अशोक कुमार पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।
2. वीरसिंह पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी मलखेड़ा त0 भादरा।

वादीगण

बनाम

1. रामसिंह पुत्र जयलाल जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री सुरजीत बिजारणिया वादीगण
श्री मुंशीराम गोस्वामी प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 23/5/22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 14 एएमएस के खाता सं0 164 / 152 के मु0न0 40 के किला न0 8 / 1, 9, 10 / 1, 10 / 2 मु0न0 45 के किला न0 9 ता 12, 19 ता 22, मु0न0 46 के किला न0 6, 14 ता 25 मु0न0 47 के किला न0 1, 2 की कुल 6.338है0 नहरी मय खाला में प्रतिवादी सं0 1 रामसिंह के नाम 1 / 2 हिस्सा व इसी प्रकार चक 16 एएमएस के खाता सं0 151 / 151 के मु0न0 21 के किला न0 2 ता 9, 12 ता 15, 17, 18 की कुल 3.542है0 नहरी में प्रतिवादी सं0 1 रामसिंह के नाम 1 / 2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादीगण के दादा जयलाल की खातेदारी हुआ करती थी। उक्त वाद भूमि को जयलाल के बाद प्रतिवादी सं0 1 रामसिंह ने अपने नाम से दर्ज करवा ली। इस प्रकार वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी रामसिंह के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

साक्ष्य वादी में वादी अशोक कुमार पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में जमाबन्दी चक 16 एएमएस प्रदर्श 1, जमाबंदी चक 14 एएमएस प्रदर्श 2 जमबांदी पैतृक चक 16 एएमएस प्रदर्श 3 व चक 14 एएमएस प्रदर्श 4 वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादीगण ने रोही मौजा चक 14 एएमएस के खाता सं0 164/152 के मु0न0 40 के किला न0 8/1, 9, 10/1, 10/2 मु0न0 45 के किला न0 9 ता 12, 19 ता 22, मु0न0 46 के किला न0 6, 14 ता 25 मु0न0 47 के किला न0 1, 2 की कुल 6.338है0 नहरी मय खाला में प्रतिवादी सं0 1 रामसिंह के नाम 1/2 हिस्सा व इसी प्रकार चक 16 एएमएस के खाता सं0 151/151 के मु0न0 21 के किला न0 2 ता 9, 12 ता 15, 17, 18 की कुल 3.542है0 नहरी में प्रतिवादी सं0 1 रामसिंह के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वाद भूमि प्रदर्श 3 व 4 से दादालाई कृषि भूमि होना साबित है वाद भूमि के अलावा 14 एएमएस के खाता सं0 165/38 की कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो प्रतिवादी रामसिंह के नाम यथावत् रखी जावें। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 14 एएमएस के खाता सं0 164/152 के मु0न0 40 के किला न0 8/1, 9, 10/1, 10/2 मु0न0 45 के किला न0 9 ता 12, 19 ता 22, मु0न0 46 के किला न0 6, 14 ता 25 मु0न0 47 के किला न0 1, 2 की कुल 6.338है0 नहरी मय खाला में प्रतिवादी सं0 1 रामसिंह के नाम 1/2 हिस्सा व इसी प्रकार चक 16 एएमएस के खाता सं0 151/151 के मु0न0 21 के किला न0 2 ता 9, 12 ता 15, 17, 18 की कुल 3.542है0 नहरी में प्रतिवादी सं0 1 रामसिंह के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, में **प्रतिवादी सं0 1 रामसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी सं0 1 अशोक कुमार व वादी स0 2 वीरसिंह को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23/5/18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
R.A.S
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 –70/2022

अनवान : –

1. अशोक कुमार पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।
2. वीरसिंह पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी मलखेड़ा त0 भादरा।

वादीगण

बनाम

1. रामसिंह पुत्र जयलाल जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शंकुतला चौधरी अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री सुरजीत बिजारणिया व वकील प्रतिवादी मुंशीराम गोस्वामी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 14 एएमएस के खाता सं0 164/152 के मु0न0 40 के किला न0 8/1, 9, 10/1, 10/2 मु0न0 45 के किला न0 9 ता 12, 19 ता 22, मु0न0 46 के किला न0 6, 14 ता 25 मु0न0 47 के किला न0 1, 2 की कुल 6.338है0 नहरी मय खाला में प्रतिवादी सं0 1 रामसिंह के नाम 1/2 हिस्सा व इसी प्रकार चक 16 एएमएस के खाता सं0 151/151 के मु0न0 21 के किला न0 2 ता 9, 12 ता 15, 17, 18 की कुल 3.542है0 नहरी में प्रतिवादी सं0 1 रामसिंह के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, में प्रतिवादी सं0 1 रामसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी सं0 1 अशोक कुमार व वादी स0 2 वीरसिंह को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/5/22.......... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शंकुतला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
भादरा (जिला हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़